संख्या-03 / 2019 / 281 /84-1-2019 -81 /2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,

जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 28 मार्च , 2019

विषय: उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के सेवानिवृत्त/ मृतक कर्मचारियों के देयकों तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से बांडी शापिंग पर आये कर्मचारियों के वेतन हेतु नियंत्रक , विधिक माप विज्ञान द्वारा समर्पित की गयी धनराशि रू0 4,47,22,000/- में से रू0 155.57 लाख की धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 142/सचि0स0से0 (548)/2019 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106'भार और माप का विनियमन - 03-अधिष्ठान व्यय की विभिन्न मदों में हो रही बचत की धनराशि रू0 4,47,22,000/- (रू0 चार करोड सैतालीस लाख बाइस हजार मात्र)में से : उत्तर प्रदेश सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के सेवानिवृत्त/ मृतक कर्मचारियों के देयकों तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से बांडी शापिंग पर आये कर्मचारियों के वेतन हेतु लेखाशीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-04'उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में बांडी शापिंग के आधार पर तैनात कर्मचारियों के वेतन मद में बी0एम0-9 में संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय रू0 155.57 लाख (रू0 एक सौ पच्पन लाख सत्तावन हजार मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- बचत की धनराशि उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सद्पयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
4- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
5- उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- बी-1-497/दस-2019 दिनांक 26-03-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

संख्या-03 /2019/281(1)/84-1-2019-81/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधिशासी निदेशक/वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। (द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी सचिवालय सत्कार सेवा संस्था)
9- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम– अनुदान संख्या–21 "खाद्य एवं रसद विभाग"(उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग) वित्तीय वर्ष 2018–19

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान (विनियोग) (2–5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्ष 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें –106–भार और माप का विनियमन–03–अधिष्ठान व्यय–01–वेतन	4356.53	322.00	155.57	155.57	4200.96
योग–	4356.53	322.00	155.57	155.57	4200.96
	निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–04–उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा –31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1498.09	1645.50	147.41	155.57	1653.66
उ0 प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था में बॉडी शापिंग के आधार पर तैनात कर्मचारियों के वेतन मद में धनराशि	0	8.16	8.16		
योग	1498.09	1653.66	155.57	155.57	1653.66

1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–पदों के रिक्त होने के कारण

2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था की सेवा से सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के देयों के भुगतान किये जाने हेतु तथा उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से बॉडी शापिग के आधार पर आये कार्मिकों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु है।

3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(वेद प्रकाश शमी)
संयुक्त सचिव
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग

आर.ई. संख्या –778 दिनांक 27–3–2019

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम.....
वित्त विभाग.....

संख्या–03/2019/281/84–1–2019–81/2017, दिनांक 28–3–2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रण अधिकारी)
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।

(वेद प्रकाश शमी)
संयुक्त सचिव
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in